भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

एडीओ सं. एफ-24017/1/09/सीडीएन/297 दिनांकितः 20/8/09

<u>कार्यालय आदेश सं. 11/2009</u>

भूमि अधिग्रहण आयुक्त के जरिए जनहित में पट्टे पर दी गई भूमि के भाग को अधिगृहीत करने से संबंधित मामलों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि यदि पट्टे पर दी गई भूमि में कमी होने के परिणामस्वरूप जनहित में पट्टे पर दी गई भूमि के भाग को अधिगृहीत किया जाता है तो भू किराए को संशोधित किया जाना पड़ेगा, एक अनुपूरक पट्टा विलेख अथवा संशोधन विलेख निष्पादित किया जाना पड़ेगा और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अधिगृहीत पट्टे पर दी गई भूमि के भाग को कम करके साइट का नवीन प्लान और नवीन अनुसूची तैयार करनी पड़ेगी। एसबीपी को संशोधित किया जाना चाहिए और एलएंडडीओ से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत स्थानीय निकाय से स्वीकृति ली जानी चाहिए। पट्टादाता की हिस्सेदारी एलएसी/पट्टाधारी, जैसा भी मामला हो, से वसूल की जानी चाहिए।

(सुरेंद्र सिंह)
उप भूमि एवं विकास अधिकारी

सेवा में,

1. सभी अधिकारी/अनुभाग
2. सीडीएन गार्ड फाइल
3. ओ/ओ फोल्डर